महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

समग्र शिक्षा Samagra Shiksha

निपुण भारत

वेब-साइट: www.basiceducation.up.gov.in, ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

पत्रांकः गुण0वि0 / समर कैम्प / 350 / 2025–26 दिनांक 16 अप्रैल, 2025

विषयः **परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6–8) में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2025 से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्मावकाश निर्धारित किया गया है। ग्रीष्मावकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल–खेल में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। ग्रीष्मावकाश में **समर कैम्प** का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैम्प एक संरचित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है, जहाँ बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैम्प के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनन्द ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं।

तत्क्रम में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6–8) के बच्चों के समग्र विकास हेतु **दिनांक 21 मई से 15 जून, 2025 के मध्य 03 सप्ताह का** ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। अतः परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6–8) में समर कैम्प के आयोजन हेतु जनपदों को निर्देश प्रेषित किये जाने के संबंध में शासन की सुविधा हेतु शासनादेश का **आलेख एवं प्रस्ताव संलग्न** कर प्रेषित है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार शासनादेश निर्गत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2025 से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्मावकाश रहेगा। ग्रीष्मावकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल–खेल में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। ग्रीष्मावकाश में **समर कैम्प** का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैम्प एक संरचित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है, जहाँ बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैम्प के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनन्द ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों **(कक्षा 6–8)** के बच्चों के समग्र विकास हेतु **दिनांक 21 मई से 15 जून, 2025 के मध्य** ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उद्देश्य –

1. बच्चों की रूचि के अनुरूप सीखने के आनंददायक अनुभव प्रदान करना एवं रचनात्मकता विकसित करना।
2. छात्र–छात्राओं में आत्मविश्वास एवम् जीवन कौशल का विकास करना।
3. शिक्षक–विद्यार्थी आत्मीय सम्बन्ध तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।
4. बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना।
5. ग्रीष्मावकाश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र–छात्राओं को सक्रिय रखना।
6. खेलकूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना।

समर कैम्प का आयोजन –

विद्यालयों में समर कैम्प के आयोजन के संबंध में निर्देश निम्नवत् हैं :–

1. परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों **(कक्षा 6–8)** में **दिनांक 21 मई से 15 जून, 2025 के मध्य** समर कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
2. प्रतिदिन समर कैम्प की अवधि अधिकतम 03 घंटे (प्रातःकाल 7:30–10:30 बजे) की होगी। स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैम्प की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है।
3. विद्यालयों के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में बच्चों के साथ समर कैम्प का आयोजन किया जाये। समर कैम्प में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र–छात्राओं, एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।
4. एक समर कैम्प के संचालन हेतु 02 कार्मिक (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) नियोजित किया जायेगा। समर कैम्प के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जायेगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैम्प के संचालन हेतु संबंधित कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र तथा यथावश्यकतानुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र को नियोजित किया जायेगा।

उक्तानुसार समर कैम्प के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किये जाने वाले 02 कार्मिकों (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) की सूची संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05 मई, 2025 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

5. समर कैम्प में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के अभिभावकों से उनकी सहमति प्राप्त करते हुये अभिभावकों को भी समर कैम्प से जुड़ने के लिये प्रेरित किया जाये। अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाये कि कैम्प की गतिविधियों के उपरांत भी घर पर उनके द्वारा बच्चों के साथ चर्चा–परिचर्चा की जाये ताकि सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव सुदृढ़ हो सके।
6. समर कैम्प के अन्तर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैम्प आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों द्वारा किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में **सुझावात्मक गतिविधियों की सूची संलग्न कर प्रेषित जा रही है।** प्रेषित की जा रही सूची में से सुविधानुसार गतिविधियाँ करायी जा सकती हैं। गतिविधियों का चयन बच्चों की आयु व रूचि को ध्यान में रखते हुये किया जाये।
7. समर कैम्प में गतिविधियों को सम्मिलित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व कार्य करने के समान अवसर प्राप्त हो सकें।
8. समर कैम्प के दौरान गर्मी, लू एवं हीट वेव से बचाव के लिये समस्त रक्षोपाय अवश्य सुनिश्चित कराये जायें, जिससे कि बच्चों को गर्मी, उच्च तापमान एवं हीट वेव के दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक भी किया जाये। तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या–68–5099/101/2023–5()1/308180/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक: 27 अप्रैल, 2023 की प्रति संलग्न है।

3– <u>वित्तीय प्राविधान :–</u>

1. परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों **(कक्षा 6–8)** में अनुदेशकों तथा शिक्षामित्रों के सहयोग से समर कैम्प का आयोजन किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को उक्त अवधि के लिये रू0 6000/– का मानदेय देय होगा।
2. समर कैम्प में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन (यथा गुड़ चिक्की/बाजरे का लड्डू/रामदाना लड्डू/गुड़ चना/लैया पट्टी) की व्यवस्था की जायेगी, जिसके लिए सुसंगत दिशा–निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
3. समर कैम्प के संचालन हेतु यथावश्यक स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु समर कैम्प के संचालन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों **(कक्षा 6–8)** के लिये रू0 2000/– की धनराशि समग्र शिक्षा के सुसंगत मद से राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रेषित की जायेगी।
4. समर कैम्प में योगदान देने वाले अनुदेशकों और शिक्षामित्रों की उपस्थिति संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) को दिनांक **20 जून, 2025** तक उपलब्ध कराई जायेगी। तदनुसार प्रमाणित उपस्थिति के आलोक में अनुदेशकों एवं शिक्षामित्रों को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. समर कैम्प के आयोजन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सुसंगत दिशा–निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

Kanchan

(कंचन वर्मा)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश।

संख्याः.........................

प्रेषक,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उ0प्र0।

लखनऊ दिनांकः 2025

विषयः **परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2025 से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्मावकाश रहेगा। ग्रीष्मावकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल–खेल में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। ग्रीष्मावकाश में **समर कैम्प** का आयोजन कर सार्थक एवं रचनात्मक वातावरण का सृजन किया जा सकता है। समर कैम्प एक संरचित और आकर्षक वातावरण प्रदान करता है, जहाँ बच्चे जीवन कौशल सीख सकते हैं। समर कैम्प के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनन्द ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुये परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों **(कक्षा 6–8)** के बच्चों के समग्र विकास हेतु **दिनांक 21 मई से 15 जून, 2025 के मध्य** ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उद्देश्य –

1. बच्चों की रूचि के अनुरूप सीखने के आनंददायक अनुभव प्रदान करना एवं रचनात्मकता विकसित करना।
2. छात्र–छात्राओं में आत्मविश्वास एवम् जीवन कौशल का विकास करना।
3. शिक्षक–विद्यार्थी आत्मीय सम्बन्ध तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना।
4. बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना।
5. ग्रीष्मावकाश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र–छात्राओं को सक्रिय रखना।
6. खेलकूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना।

समर कैम्प का आयोजन –

विद्यालयों में समर कैम्प के आयोजन के संबंध में निर्देश निम्नवत् हैं :–

1. परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों **(कक्षा 6–8)** में **दिनांक 21 मई से 15 जून, 2025 के मध्य** समर कैम्प का आयोजन किया जायेगा।
2. प्रतिदिन समर कैम्प की अवधि अधिकतम 03 घंटे (प्रातःकाल 7:30–10:30 बजे) की होगी। स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैम्प की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है।

3. विद्यालयों के शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में बच्चों के साथ समर कैम्प का आयोजन किया जाये। समर कैम्प में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र–छात्राओं, एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है।
4. एक समर कैम्प के संचालन हेतु 02 कार्मिक (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) नियोजित किया जायेगा। समर कैम्प के संचालन हेतु उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जायेगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट विद्यालय में अनुदेशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैम्प के संचालन हेतु संबंधित कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र तथा यथावश्यकतानुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के निकटस्थ प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र को नियोजित किया जायेगा।

   उक्तानुसार समर कैम्प के संचालन हेतु विद्यालयों एवं नियोजित किये जाने वाले 02 कार्मिकों (अनुदेशक एवं शिक्षामित्र) की सूची संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05 मई, 2025 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
5. समर कैम्प में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के अभिभावकों से उनकी सहमति प्राप्त करते हुये अभिभावकों को भी समर कैम्प से जुड़ने के लिये प्रेरित किया जाये। अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाये कि कैम्प की गतिविधियों के उपरांत भी घर पर उनके द्वारा बच्चों के साथ चर्चा–परिचर्चा की जाये ताकि सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव सुदृढ़ हो सके।
6. समर कैम्प के अन्तर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैम्प आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों द्वारा किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में **सुझावात्मक गतिविधियों की सूची संलग्न कर प्रेषित जा रही है।** प्रेषित की जा रही सूची में से सुविधानुसार गतिविधियाँ करायी जा सकती हैं। गतिविधियों का चयन बच्चों की आयु व रूचि को ध्यान में रखते हुये किया जाये।
7. समर कैम्प में गतिविधियों को सम्मिलित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व कार्य करने के समान अवसर प्राप्त हो सकें।
8. समर कैम्प के दौरान गर्मी, लू एवं हीट वेव से बचाव के लिये समस्त रक्षोपाय अवश्य सुनिश्चित कराये जायें, जिससे कि बच्चों को गर्मी, उच्च तापमान एवं हीट वेव के दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक भी किया जाये। तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या–68–5099/101/2023–5()1/308180/2023 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांकः 27 अप्रैल, 2023 की प्रति संलग्न है।

3— **वित्तीय प्राविधान :–**

1. परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों **(कक्षा 6–8)** में अनुदेशकों तथा शिक्षामित्रों के सहयोग से समर कैम्प का आयोजन किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को उक्त अवधि के लिये रू0 6000/– का मानदेय देय होगा।
2. समर कैम्प में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रीशन (यथा गुड़ चिक्की/बाजरे का लड्डू/रामदाना लड्डू/गुड़ चना/लैया पट्टी) की व्यवस्था की जायेगी, जिसके लिए सुसंगत दिशा–निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
3. समर कैम्प के संचालन हेतु यथावश्यक स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु समर कैम्प के संचालन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों **(कक्षा 6–8)** के लिये रू0 2000/– की धनराशि समग्र शिक्षा के सुसंगत मद से राज्य परियोजना निदेशक द्वारा प्रेषित की जायेगी।
4. समर कैम्प में योगदान देने वाले अनुदेशकों और शिक्षामित्रों की उपस्थिति संबंधित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक वित्त एवं

लेखाधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) को दिनांक **20 जून, 2025** तक उपलब्ध कराई जायेगी। तद्नुसार प्रमाणित उपस्थिति के आलोक में अनुदेशकों एवं शिक्षामित्रों को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. समर कैम्प के आयोजन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में सुसंगत दिशा–निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपने जनपद में समर कैम्प का आयोजन किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें तथा इस सम्बन्ध में सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–उक्तवत्।</u>

भवदीय,

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन सख्या :... तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, निशातगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त जनपद, उ0प्र0।

आज्ञा से,

परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कम्पोजिट विद्यालयों (कक्षा 6–8) में समर कैम्प के आयोजन हेतु 03 सप्ताह की सुझावात्मक गतिविधियाँ

सप्ताह–1

1) **योग व फिटनेस**
- प्रातःकालीन योग सत्र–सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, श्वास अभ्यास
- व्यायाम – जम्पिंग जैक, हुपर हॉप
- फिटनेस रिले गेम्स – टीम आधारित दौड़, बाधा रेस
- खेल (Indoor & Outdoor) गतिविधियां

2) **हमारी सांस्कृतिक विरासत**
- लोक नृत्य की प्रस्तुति – समूह में क्षेत्रीय नृत्य का अभ्यास
- पारंपरिक परिधान दिवस – विविध सांस्कृतिक परिधानों का प्रदर्शन
- लोककथाएँ सुनाना – भारत की प्रसिद्ध लोककथाओं का अभिनय/वाचन
- हस्तशिल्प कला – मिट्टी/कागज से पारंपरिक वस्तुएँ बनाना

3) **समाज में मेरा योगदान**
- पार्क या ग्राम स्वच्छता अभियान
- मेरे अधिकार और कर्तव्य पोस्टर बनाना
- वरिष्ठ नागरिकों से संवाद
- चर्चा सत्र : "मैं समाज के लिये क्या कर सकता/सकती हूँ"

4) **डिजिटल कौशल और स्मार्ट कक्षा गतिविधियाँ**
- डिजिटल प्रस्तुति/Presentation निर्माण – पावर प्वाइंट या कैनवस के माध्यम से प्रकृति या विज्ञान पर प्रस्तुतियाँ
- शैक्षणिक ऐप्स – क्विज, शब्द पहेली, गणित और विज्ञान खेल
- स्मार्ट बोर्ड पर सहभागिता – इंटरैक्टिव लेसन और एनिमेशन आधारित समझ
- ऑनलाइन विज्ञान प्रयोग – वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म पर प्रयोग करना

सप्ताह–2

1) **पर्यावरण व बागवानी**
- वृक्षारोपण – स्कूल परिसर में पौधे लगाना व टैग करना
- पौधों की देखभाल – निराई, सिंचाई और निरीक्षण
- पत्तों की खोज – पत्तियाँ इकट्ठा कर पर्यावरण डायरी बनाना
- कीट निरीक्षण – छोटे कीड़ों को पहचान करके नोट्स बनाना

2) **विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति**
- डिजिटल कोलाज – पर्यावरण विषय पर टैबलेट/डेस्कटॉप से चित्र संयोजन
- पी0पी0टी0 निर्माण – विज्ञान/प्रकृति विषय पर 3–स्लाइड्स की प्रस्तुति
- एनीमेशन वीडियो प्रस्तुति – विज्ञान आधारित लघु फिल्में देखना
- विज्ञान क्विज ऐप – प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्रतियोगिता

3) **कक्षा में रचनात्मक गतिविधियाँ**

- पुस्तकालय गतिविधियाँ एवं समूह पठन सत्र का आयोजन।
- कला और शिल्प – रंगों, कागज और पुनः उपयोगी सामग्री से सजावटी वस्तुएँ बनाना
- संगीत एवं नृत्य – गायन, ताल वादन और क्षेत्रीय नृत्य अभ्यास
- कठपुतली निर्माण और कहानी प्रस्तुति – समूहों में मिलकर नाटक प्रस्तुत करना
- शब्द खेल और बोर्ड गेम – लूडो, शतरंज, शब्द निर्माण आदि

4) **विज्ञान व STEM**

- DIY लावा लैम्प – तेल, पानी, रंग और टैबलेट से प्रयोग
- पेपर ब्रिज चैलेंज – कागज से पुल बनाकर उसका परीक्षण
- वायु दबाव प्रयोग – गरम और ठंडे पानी से बोतल को संपीड़ित करना
- पानी टॉवर मॉडल – कप्स को स्टैक कर पानी बहाना

<u>सप्ताह–3</u>

1) **राष्ट्रीय एकता : विविधता में एकता**

- राज्यों की झांकी बनाना – भारत के राज्यों की प्रदर्शनी
- भाषा विविधता परिचय – अलग–अलग भाषाओं में नमस्कार और नारे लगाना
- राष्ट्रगीत और देशभक्ति गीतों का गायन
- 'हम सब एक हैं' चित्र प्रतियोगिता

2) **जल व ऊर्जा संरक्षण**

- 'जल बचाओ' पोस्टर – जल संरक्षण पर संदेशचित्र बनाना
- वर्षा जल संचयन मॉडल – छत से पानी इकट्ठा करने की कल्पना
- पानी परीक्षण – साफ, गंदे और साबुन वाले पानी की तुलना करना
- स्विच ऑफ ड्रिल – बिजली की बचत हेतु उपकरण बंद करना

3) **संगीत, रंगमंच और नाटक**

- कविता पाठ या समूह गीत – प्रकृति या देशभक्ति पर आधारित
- 'प्रकृति बोलती है' भूमिका – पेड़, नदी, जानवर का अभिनय
- सामूहिक नाटक – स्वच्छता या एकता विषय पर लघु नाटक
- कठपुतली नाटक – पर्यावरण/सुरक्षा पर संदेश सहित प्रस्तुति

4) **कार्यशालायें और विशेष सत्र**

- भाषा कार्यशाला – शब्दों का खेल, कहानी निर्माण
- गणित कार्यशाला – पहेलियाँ, गणित आधारित खेल
- पर्यावरण जागरूकता – संरक्षण और स्थिरता पर चर्चा
- जीवन कौशल – समय प्रबन्धन, लक्ष्य निर्धारण, टीमवर्क
- स्वास्थ्य व कल्याण – मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर सत्र

5) **अंतिम दिवस**

- समर कैम्प के अंतिम दिवस अभिभावकों, शिक्षकों एवं बच्चों द्वारा समर कैम्प के बारे में अपने अनुभव साझा किया जाना।

———